**पत्रांक ----------------------------------------------**

सेवा में,

**श्री चंद्रमोहन पाठक**

विभागीय अधिवक्ता,

जी0एस0टी0 एवं सेवाकर सलाहकार,

बी-1/64, सेक्टर-एच, अलीगंज,

लखनऊ ।

संदर्भ-वर्ष 2021 में, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स गाज़ियाबाद विभाग द्वारा सी एंड डीएस, यूनिट-28, गाजियाबाद को, जारी कारण बताओ नोटिस (**Show Cause Notices**) के क्रम में - आयुक्त, केंद्रीय माल एवं सेवा कर, गाजियाबाद द्वारा पारित मूल आदेश संख्या. **ORDER IN ORIGINAL NO.17/COMM/ ST/ GZB/22-23 DATE: 14.11.2022 BEARING DIN NO. 20221154YE000000067E9** के सम्बंध में

**विषय-C&DS, Unit-28 गाज़ियाबाद को सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कमिश्नर के द्वारा पारित मूल आदेश संख्या. ORDER IN ORIGINAL NO.17/COMM/ ST/ GZB/22-23 DATE: 14.11.2022 BEARING DIN NO. 20221154YE000000067E9 जिसमें सेवा कर/ब्याज/जुर्माने के– Rs 886.6 crores की देयता जो - फॉरवर्ड चार्ज में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज पर** (जिसमें सासनदेश के माध्यम से सी एंड डीएस द्वारा प्राप्त फंड पर सेवा कर लागू होता है) **और रिवर्स चार्ज कानून के तहत वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज पर (**जहां निर्माण संबंधित सेवाएं सी एंड डीएस, यूनिट-28 द्वारा विभिन्न कार्य आदेशों-WORK ऑर्डर्स-के माध्यम से ठेकेदारों /पीआरडब्लू को सबलेट की गई थी) **देय थी, को माफ करने के सम्बंध में**

महोदय,

**(1).**कृपया गाज़ियाबाद सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कमिश्नर द्वारा पत्र संख्या द्वारा **पारित मूल आदेश संख्या. ORDER IN ORIGINAL NO.17/COMM/ ST/ GZB/22-23 DATE: 14.11.2022 BEARING DIN NO. 20221154YE000000067E9 जिसमें सेवा कर/ब्याज/जुर्माने के– Rs 886.6 crores को माफ किया है ,** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें.

**(2). इस मामले में** कारण बताओ नोटिस (**Show Cause Notices**) **में** **निम्नलिखित सेवा कर/ब्याज और दंड देय थे -**

**1.Service Tax amounting to Rs 305,68,65,705**/-(Incl. SBC & KKC) (Rupees Three Hundred Five Crore Sixty Eight Lakh Sixty Five Thousand Seven Hundred Five Only),so deliberatively and willfully short paid by them during the period from **April, 2016 to March, 2017**, should not be demanded and recovered from them under proviso to **Section 73(1)** of the Finance Act, 1994 read with Section 142 and Section 174(2) of CGST Act, 2017**.(Approximately Rs 305.6 crores )**

**2.Interest** on the above amount of Service tax should not be demanded and recovered from them under **Section 75** of the Finance Act, 1994 read with Section 142 and Section 174(2) of CGST Act, 2017. **.(Approximately 90% of Rs 305.6 crores which is about Rs 275.4 crore )**

**3.Penalty** should not be imposed upon themunder **Section 78** of the Finance Act, 1994 read with Section 142 and Section 174(2) of CGST Act, 2017. **.(Approximately Rs 305.6 crores )**

**4.Penalty** should not be imposed upon them under **Section 77(1)(c)** of the Finance Act, 1994 read with Section 142 and Section 174(2) of CGST Act, 2017.

**5.Penalty** should not be imposed upon themunder **Section 77(2)** of the Finance Act, 1994 read with Section 142 and Section 174(2) of CGST Act, 2017.

**4.Total approximate revenue of C&DS amounting to Rs 305.6 +275.4+305.6 =Rs 886.6 crores is saved**

**(3).इन मांगों को - Total approx. amounting to Rs 305.6 +275.4+305.6 =****Rs 886.6 crores को माफ करते हुए माननीय आयुक्त सीजीएसटी द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी किया गया -**

**In view of the facts and circumstances of the case and discussion & findings mentioned supra, I pass the following order:**

**ORDER**

**I DROP THE DEMAND OF SERVICE TAX ISSUED VIDE SCN NO. 30/COMMR/ST/GZB/2021 DT. 22.10.21.**

**(4).**इस मामले में, पूर्व में जारी सभी SCN/ NOTICES से सम्बंधित ,सभी डिफेन्स रिप्लाई /दस्तावेज आदि (**Defence Reply/ Written Statement** आदि )आपके द्वारा दाखिल किये गए थे तथा दिनांक **12-10-2022**  को व्यक्तिगत रूप से न्यायिक प्राधिकारी- गाज़ियाबाद सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कमिश्नर के सामने नोटिस/ पत्र /समन के जवाब में पेश होते हुए डिफेन्स रिप्लाई / **कॉन्ट्रैक्टर्स को जारी विभिन्न WORK ORDERS/आदि भी दाखिल की गयी थी,जिसमें रिवर्स चार्ज कानून के तहत वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज/ मैनपावर सप्लाई के लिए (**जहां निर्माण संबंधित सेवाएं सी एंड डीएस, यूनिट-28 द्वारा विभिन्न कार्य आदेशों (WORK ORDERS)के माध्यम से ठेकेदारों /पीआरडब्लू को सबलेट की गई थी**) दाखिल की गयी थी,जिसे सही मानते हुए रिवर्स चार्ज लॉ आफ सर्विस टैक्स (RCM ) के तहत वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज/ कंस्ट्रक्शन सबंधी सेवाओं पर जारी नोटिस में आरोपित होने वाली सेवा कर ब्याज/जुर्माने की देयता को छोड़ दिया गया है**  जो लगभग कुल राशि रु **Rs 886.6 Crores को माफ करते हुए माननीय आयुक्त सीजीएसटी द्वारा 14-11-2022 में आदेश जारी किया गया**

**(5).**उपरोक्त मुकदमे/ में आपके द्वारा गाज़ियाबाद न्यायालय में किए गए तर्क और मुख्य रूप से रिवर्स चार्ज कानून के तहत वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज/ कंस्ट्रक्शन सम्बन्धी सेवाओं/ forward charge पर दाखिल की गयी लीगल वेटिंग/Legal Vetting आदि कार्यो की प्रशंसा की जाती है,जिससे Unit28 के साथ- साथ अन्य यूनिट्स को भी इसका लाभ मिलेगा .

(6).**अतः** **आपने सी एंड डीएस के पक्ष में Rs 886.6 करोड़ रुपये की बचत की है और इस कार्य के लिए आपकी सराहना की जाती है**

भवदीय

(इं0 -------------------)

परियोजना प्रबंधक

पृ0 सं0 एवं दिनांक तदैव

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

मुख्य महाप्रबंधक (तृतीय) सी0 एण्ड डी0 एस0 उ0 प्र0 जल निगम लखनऊ ।

महाप्रबंधक (नि0 -1) सी0 एण्ड डी0 एस0 उ0 प्र0 जल निगम गाज़ियाबाद ।

वित्त अधिकारी सी0 एण्ड डी0 एस0 उ0 प्र0 जल निगम लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की अन्य यूनिटों को भी सूचित कराने की कृपा करें ।